

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४९] नई दिल्ली, बुध्दतिथार, मार्च २०, १९६९/फाल्गुन २९, १८९०
No. 49] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 1969/PHALGUNA 29, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 20th March 1969

G.S.R. 849.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 72/69-Central Excises dated the 1st March, 1969, namely:—

In the said notification for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—

“Explanation.—For the purposes of this notification, ‘Fents’ means—

- (a) genuine cut-pieces of cotton fabrics (excluding cut-pieces of towels) of 92 centimetres or more but not exceeding 1.5 metres in length arising during the normal course of manufacturing or processing or packing or drawing samples;
- (b) cut-pieces of 92 centimetres or more but not exceeding 1.5 metres in length cut from damaged dhoties or sarees; and

- (c) damaged cotton fabrics of 92 centimetres or more but not exceeding 1.5 metres in length (excluding damaged towels of 92 centimetres or more)."

[No. 101/69-CE—F. No. 12/97/68-CXII.]

G.S.R. 850.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 91/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, namely:—

In the said notification, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—

"Explanation.—For the purposes of this notification, 'Fents' means—

- (a) genuine cut-pieces of cotton fabrics (excluding cut-pieces of towels) of 92 centimetres or more but not exceeding 1.5 metres in length arising during the normal course of manufacturing or processing or packing or drawing samples;
- (b) cut-pieces of 92 centimetres or more but not exceeding 1.5 metres in length cut from damaged dhoties or sarees; and
- (c) damaged cotton fabrics of 92 centimetres or more but not exceeding 1.5 metres in length (excluding damaged towels of 92 centimetres or more)."

[No. 102/69-CE—F. No. 12/97/68-CXII.]
S. P. KAMPANI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 20 मार्च 1969

सां० का० नि० 851.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 72/69 तारीख पहली मार्च 1969 में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "टुकड़ों" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:—

- (क) सूती फैब्रिक के (तोलियों के टुकड़ों को छोड़ कर) लम्बाई में 92 सें० मी० या उससे अधिक किन्तु 1.5 मीटर से अधिक के असली टुकड़े जो विनिर्माण या प्रसंस्करण या पैकिंग या नमूने निकालने के प्रसामान्य अनुक्रम में निकले हों,

(ख) क्षत धोलियों या साड़ियों में से कटे हुए लम्बाई में 92 सें० मी० या उससे अधिक किन्तु 1.5 मीटर से अधिक के टुकड़े तथा

(ग) लम्बाई में 92 सें० मी० या उससे अधिक किन्तु 1.5 मीटर से अधिक के क्षत सूती फैब्रिक (92 सें० मी० या उससे अधिक के क्षत तोलियों को छोड़ कर) ।” [सं० 101/69 -के० उ० फा० सं० 12/97/68-के उ०-2]

सं० फा० नि० 852.—अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 91/69' तारीख पहली मार्च 1969 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किय जाएगा, अर्थात्—

“स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “टुकड़ों” से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं,—

(क) सूती फैब्रिक के (तोलियों के टुकड़ों को छोड़कर) लम्बाई में 92 सें० मी० या उससे अधिक किन्तु 1.5 मीटर से अधिक के असली टुकड़े जो विनिर्माण या प्रसंस्करण या पैकिंग या नमूने निकालने के इस सामान्य अनुक्रम में निक्षेप हों ;

(ख) क्षत धोलियों या साड़ियों में से कटे हुए लम्बाई में 92 सें० मी० या उससे अधिक किन्तु 1.5 मीटर से अधिक के टुकड़े, तथा

(ग) लम्बाई में 92 सें० मी० या उससे अधिक किन्तु 1.5 मीटर से अधिक के क्षत सूती फैब्रिक (92 सें० मी० या उससे अधिक के क्षत तोलियों को छोड़ कर) ।”

[सं० 102 / 69) -के० उ० फा० सं० 12/97/68-के० उ०-2]

शान्ति प्रकाश कम्पानी,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

